<u>राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुरपीठ, जयपुर</u>

<u>आदेश</u>

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-7366/2006

नेमी चन्द बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक:28.11.2006

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल</u>

श्री एम सी जैन, अधिवक्ता अभियुक्त- प्रार्थी की ओर से
श्री आर पी कुलदीप, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य

अभियुक्त - प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त-प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी तथादौरान बहस प्रस्तुत की गयी सामग्री / केस डायरी का अवलोकन किया गया।

अभियुक्त- प्रार्थी के विरूद्ध अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर समान आब्जेक्ट के क्रम में शिवचरण की हत्या करने व औंकार के चोट कारित करने का मामला है।

इस प्रक्रम पर इस मामले के गुणावगुण पर विशेष विवेचन किया जाना उपयुक्त नहीं है किन्तु अपराध की प्रकृति व अभियुक्त की इस अपराध में बतायी गयी लिप्तता व प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मेरी राय में प्रार्थी को धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता का लाभ दिया जाकर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अत: अभियुक्त- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

इस प्रक्रम पर अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी ने जाहिर किया कि इस मामले में चार्ज शीट प्रस्तुत हो चुकी है तथा अन्य सह अभियुक्तगण की जमानत भी हो चुकी है तथा अभियुक्त- प्रार्थी स्वयं को समर्पित करने के लिए तत्पर है।

इस संदर्भ में इतना ही अंकित किया जाना उपयुक्त है कि अभियुक्त- प्रार्थी विधि सम्मत ढंग से ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है।

(**न्या0 जितेन्द्र राय गोयल**)